(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उनके द्वारा क्या मांगें रखी गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है लिए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के उद्घोषक परिसंघ की मुख्य मांगें आकाशवाणी के संगठन संवर्ग में उद्घोषक संवर्ग का विलय करने, ट्रांसमिशन निष्पादकों एवं कार्यक्रम निष्पादकों को दिए जा रहे उच्चतर वेतनमान की स्थिति में उनसे वेतन समानता और उद्घोषकों की कार्यक्रम निष्पादकों की श्रेणी में पदोन्नति से संबंधित हैं।

(ग) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में प्रसारण भारती की स्थापना के बाद इस मामले में प्रथमतः यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अतिरिक्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना

3810. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिरिक्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना हेतु अब तक मंत्रालय को अपने प्रस्ताव किन-किन राज्य सरकारों ने भेजे हैं तथा क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर में भी एक खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन प्रस्तावों पर अब तक किये गये अध्ययनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने किन-किन राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार किया है, तथा अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कब तक अध्यादेश जारी करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम०थम्बी दुरई): (क) से (ग) इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग और उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों से संबंधित साधारण प्रश्न पर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट 15-10-1986 को संसद् पुस्तकालय में रखी गई थी और राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर, क्रमशः 20-4-1987 और 21-4-1987 को रखी गई थी जिसे देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बाबत रिपोर्ट बिलासपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए भी है।

इलाहबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों की स्थापना के लिए आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, विचार और टीका-टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को निर्देशित की गई थी। उच्च न्यायलयों की प्रधान पीठ से दूर, न्यायपीठों की स्थापना के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धान्तों और मानदंडों को जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया था।

तथापि, उच्च न्यायलयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, मामले में आगे कार्रवाई कर पाना केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं है।

पश्चिमी बंगाल सरकार, ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उत्तरी बंगाल में, जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Additional Offices of Registrar of Companies in Maharashtra

3811. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any final decision for opening additional offices of Registrar of Companies in Maharashtra as the State only one office of Registrar which cannot cope with the work; and

(b) If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India, in addition to the existing office of Registrar of Companies at Mumbai, has opened a new office of the Registrar of Companies at Pune in the state of Maharashtra w.e.f. 01.05.1998. The work relating to the Companies having their registered offices in the Districts of Pune, Nasik, Kolhapur, Ratnagiri, Satara, Sindhudurga, Sangli, Sholapur and Ahmednagar is now being looked after by the Pune, Office.

Creation of National Judicial Commission

3812. SHRI V.N. GADGIL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware about the judgement given in 1994 in Advocates on Record case whereby the Supreme Court has virtually appropriated to themselves the power to make appointments to the High Courts and the Supreme Court;

(b) whether the Government propose to create a National Commission for Judicial Appointments; and

(c) in what way Government propose to make Supreme Court and High Courts accountable?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) The appointments of Judges of the Supreme Court and the High Courts are made in accordance with articles 124 and 217 of the Constitution of India respectively. Following the majority judgement of a 9 member bench of the Supreme Court on 6.10.1993, the Memorandum of Procedure for appointment of judges has been revised. According to the revised procedure, the proposals for appointment of a judge in the High Courts should be initiated by the Chief Justice of the concerned High Court. In respect of appointment of judges in Supreme Court and Chief Justices of High Courts and transfer of Chief Justices and judges of High Courts, the proposals are to be initiated by Chief Justice of India. Prior to 1993 judgement, proposals could be initiated by Government also.

(b) and (c) One of the items of the National Agenda for Governance is to set up a National Judicial Commission to make recommendations for Judicial appointments in the Supreme Court and the High Courts and draw up a code of ethics for the judiciary.

भारतीय दंड संहिता के कानूनों में संशोधन

3813. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के किन-किन कानूनों में अब तक संशोधन किया गया है और क्या संबंधित कानून को और अधिक सरल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में संसद में कितने विधेयक लगाए गये तथा कितने विधेयक लाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने पति तथा पत्नी को समान न्याय दिलाने तथा दोनों पक्षों के पक्ष में दिये जाने वाले निर्णयों में तर्कसंगतता लाने हेतु तलाक से संबंधित कानून को सरल बनाने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम० थम्बी दुरई): (क) से (ग) विभिन्न भारतीय दाण्डिक विधियां, भारतीय परिनियम पुस्तक में यत्र-तत्र बिखरी हुई हैं और उन्हें अलग-अलग रूप से पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। यह कह पाना भी संभव नहीं है कि उनकी संगत विधियां क्या हैं। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कतिपय उपबन्धों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक, अर्थात् दण्ड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1995, तारीख 21 अगस्त, 1995 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था किन्तु दसवीं लोक सभा के विघटित हो जाने के कारण वह व्ययगत् हो गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।